

संख्या-2240(A)/71-3-2010-328/92

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. निदेशक,
होम्योपैथी विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

✓ 3. निदेशक,
यूनानी विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त, 2010

विषय:- चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2042/71-3-2001-328/92, दिनांक 11 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्या-2788/71-3-2001-328/92, दिनांक 29 अगस्त, 2001 के क्रम में पुरोक्त कानूनी आदेश निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्पन्न विचारोपयुक्त प्रवेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी कालेजों में स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों से लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों को सलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संशोधित शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2010-11 तथा उसके पश्चात् वर्षों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित होने वाले छात्रों से लिया जायेगा।

2- आरक्षित श्रेणी के छात्रों के ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) सामान्य वर्ग के छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) की आधी (50 प्रतिशत) होगी।

3- सलग्न सूची में इंगित "अन्य शुल्क" से तात्पर्य लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कालेज डे, मेकअप, फस कल्याण, कम्प्यूटर, मेस व स्पोर्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकालोजी तथा क्लिनिकल सोसायटी, एग्जामिनेशन शुल्क इत्यादि हेतु लिये जाने वाले शुल्क तथा "प्रवेश शुल्क" से तात्पर्य फंजीकरण, एनरोलमेंट, मेडिकल इन्फार्मेशन, पैथोलॉजी टेस्ट, एक्स रे, ब्लड ग्रुप, परिचय-पत्र, प्रशासनिक व्यय आदि मदों में लिये जाने वाले शुल्क से है।

4- थीसिस प्रोफार्मा, थीसिस तथा परीक्षा सम्बन्धी शुल्क उपरोक्त के अतिरिक्त देय होंगे, जो राजकीय आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेज स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

5- शिक्षण/प्रशिक्षण शुल्क एवं काशनमनी दो छमाही किस्तों में दी जा सकती है।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-3-1170/दस-2010, दिनांक 17 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

सलग्नक: अथोवत।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव

वै

शासनादेश संख्या- 2240(i)/71-3-10-328/91, दिनांक 20 अगस्त, 2010 का संलग्न

(क) स्नातक पाठ्यक्रम

1. शिक्षण शुल्क	रु0 10000/- प्रतिवर्ष
2. अन्य शुल्क	रु0 2000/- प्रतिवर्ष
3. विकास शुल्क	रु0 2000/- प्रतिवर्ष
4. प्रवेश शुल्क	रु0 1000/- केवल प्रवेश के समय
5. काशन मनी (रिफण्डेबुल)	रु0 4000/- केवल प्रवेश के समय
6. छात्रावास शुल्क	
सिंगल सीटेड	रु0 200/- प्रतिमाह
डबल सीटेड	रु0 150/- प्रतिमाह
ट्रिपल सीटेड/अधिक	रु0 100/- प्रतिमाह
7. विद्युत उपभोग	रु0 200/- प्रतिमाह

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. शिक्षण शुल्क	रु0 12000/- प्रतिवर्ष
2. अन्य शुल्क	रु0 2000/- प्रतिवर्ष
3. विकास शुल्क	रु0 4000/- प्रतिवर्ष
4. प्रवेश शुल्क	रु0 2000/- केवल प्रवेश के समय
5. काशन मनी (रिफण्डेबुल)	रु0 4000/- केवल प्रवेश के समय
6. छात्रावास शुल्क	निःशुल्क
7. विद्युत उपभोग	रु0 500/- प्रतिमाह

(नवदीप रिग्वा)
विशेष सचिव।